न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 30 / 2020

1. नरेन्द्र पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी दुलपुरा तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार मलसीसर
उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 04 / 2019 निर्णय दिनांक 17.12.2019

उपस्थितिः—

1 श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट ——— ——अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 19.04.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.12.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम नरेन्द्र मु0नं0 04 / 2019 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसील मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि— जमीन हाल खसरा नंबर 50 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मु0राजस्व सरहद राजस्व ग्राम दुलपुरा तहसील मलसीसर में स्थित है। अदालत मातहत ने अपीलांट को उक्त अपील में से 250 वर्गमीटर जमीन पर तथाकथित रूप से पक्का लेटबाथ झोपड़ा बनाकर तारबंदी ईंट व कचरा डालकर तथाकथित रूप से अतिक्रमी घोषित कर दिनांक 17.12.2019 को बेदखली व लगान के 50 गुणा अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है जिसके विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया है कि पुरानी नक्शासीट में रास्ते का अंकन नहीं है। दौराने प्रबंध सेटलमेंट अधिकारियों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gouri
Date: 2021.04.19 18:06:44 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

नक्शासीट में रास्ते का अंकन करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। दौराने सेटलमेंट भू प्रबन्ध अधिकारियों को गत इन्टरीज को सिर्फ दौहराने का अधिकार होता है। अपीलांट उपरोक्तानुसार नक्शासीट दुरूस्ती की अलग से कार्यवाही करेगा। अदालत मातहत ने अपीलांट को आलौच्य निर्णय में अतिक्रमी मानने का स्पष्ट व कानूनी आधार दर्ज नहीं किया। अपीलांट को जहां तथाकथित रूप से अतिक्रमीर माना है वह जगह आबादी भूमि है। ग्राम पंचायत भूदाका बास ने अपीलांट के हक में 150 वर्गगज का पट्टा विलेख दिनांक 10.3.1991 को जारी किया है। अदालत मातहत ने उक्त पटटाविलेख की जांच नहीं की। कानून से जहां किस्म जमीन व सदभाविक कब्जे का प्रश्न हो वहां बाद रेगुलर कार्यवाही व बाद शपथपूर्वक साक्ष्य के किसी सदभाविक व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है। ऐसे प्रकरण में समरी जैसी कार्यवाही के द्वारा किसी सदभाविक व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जा सकता है। अदालत मातहत ने अपीलांट को आलौच्य निर्णय में अतिक्रमी मानने का स्पष्ट व कानूनी आधार दर्ज नहीं किया है। इस कारण मौजुदा आलौच्य निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.12.2019 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– पुरानी नक्शासीट में रास्ते का अंकन नहीं है। दौराने भू. प्रबंध सेटलमेंट अधिकारियों को नक्शासीट में रास्ते का अंकन करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। दौराने सेटलमेंट भू प्रबन्ध अधिकारियों को गत इन्टरीज को सिर्फ दौहराने का अधिकार होता है। अपीलांट उपरोक्तानुसार नक्शासीट दुरूस्ती की अलग से कार्यवाही करेगा। अदालत मातहत ने अपीलांट को आलौच्य निर्णय में अतिक्रमी मानने का स्पष्ट व कानूनी आधार दर्ज नहीं किया। अपीलांट को जहां तथाकथित रूप से अतिक्रमीर माना है वह जगह आबादी भूमि है। ग्राम पंचायत भूदाका बास ने अपीलांट के हक में 150 वर्गगज का पट्टा विलेख दिनांक 10.3.1991 को जारी किया है। अदालत मातहत ने उक्त पटटाविलेख की जांच नहीं की। कानून से जहां किस्म जमीन व

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.04.19 18:06:44 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

सदभाविक कब्जे का प्रश्न हो वहां बाद रेगुलर कार्यवाही व बाद शपथपूर्वक साक्ष्य के किसी सदभाविक व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है। ऐसे प्रकरण में समरी जैसी कार्यवाही के द्वारा किसी सदभाविक व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जा सकता है। अदालत मातहत ने अपीलांट को आलौच्य निर्णय में अतिक्रमी मानने का स्पष्ट व कानूनी आधार दर्ज नहीं किया है। इस कारण मौजुदा आलौच्य निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.12.2019 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि गैर. मु. रास्ते की भूमि पर पक्का निर्माण कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी भूदाका बास की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा भूमि खसरा नंबर 50 रकबा 0.04 हैक्टर गै0मु0 रास्ता 250 वर्गमीटर भूमि पर तारबंदी, झोपडा,लेटबाथ आदि बनाकर अतिक्रमण करना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर सुना गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं अपील के साथ इस तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे अतिक्रमित भूमि पर उसका कब्जा वैध साबित होता हो। अपीलांट का यह कथन कि पुरानी नक्शासीट में रास्ते का अंकन नहीं है, इस संबंध में अपीलांट सक्षम न्यायालय में विधिवत कार्यवाही करता, अपीलांट के इस तर्क से अपील में कोई बल नहीं मिलता। अतिक्रमित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार गैर मु0 रास्ते की भूमि है, जो नियमन योग्य भी नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ ग्रामपंचायत भूदाका बास द्वारा जारी पटटा होने के संबंध में फोटो प्रति पेश की गई है जो ना तो सत्यापित है और ना ही उसमें अंकन साफ दिखाई [illegible] या जमीन की कोई सीमाएं अंकित है, जिसकी साक्ष्य के रूप में कोई [illegible] स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एंव परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट [illegible] प्रतीत नहीं होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.04.19 18:06:44 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2019 उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र नं0 04/2019 यथावत रखा जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 19.4.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू 19-4-2019

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.04.19 18:06:44 IST
Reason: SelfAttested